न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या— 109/2013—14

मैसर्स सेनवील कन्सट्रक्शन कम्पनी —बनाम— सरकार

2. निगरानी संख्या— 110/2013—14

माउन्टेन कन्सट्रक्शन —बनाम— सरकार

3. निगरानी संख्या— 111/2013—14

नौशाद —बनाम— सरकार

4. निगरानी संख्या— 112/2013—14

नौशाद —बनाम— सरकार

5. निगरानी संख्या— 114/2013—14

मैसर्स आकांक्षा कन्सट्रक्शन कम्पनी —बनाम— सरकार

6. निगरानी संख्या— 120/2013—14

संजय —बनाम— सरकार

7. निगरानी संख्या— 121/2013—14

मैसर्स आकांक्षा कन्सट्रक्शन कम्पनी —बनाम— सरकार

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री डी0आर0 तिवारी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता।

बावत
मौजा डाण्डा नूरीवाला, धोरणखास, डाण्डा लखौण्ड,
आमवाला तरला, मिर्जापुर उर्फ ढालीपुर, शीशमबाडा,
रामपुर एवं शेरपुर आदि।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्तागण ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा विविध वाद संख्या—02/विविध/2013—14 सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट प्रा0लि0 आदि में पारित आदेश दिनांक 29—01—2014 के विरूद्व योजित की हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत शिकायत की जांच जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा जाँच समिति गठित की गई जाँच समिति की रिपोर्ट दिनांक 03—09—2013 के आधार पर जिलाधिकारी, देहरादून ने इस आशय का आदेश दिनांक 29—01—2014 पारित किया कि राज्य सरकार की भूमि को फर्जी दस्तावेज/परवानों के आधार पर खुर्द—बुर्द करने सम्बन्धी ग्राम डाण्डा नूरीवाला, चकडांडा लखौण्ड, डाण्डा लखौण्ड, धोरणखास के प्रकरण पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/अपर नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून के न्यायालय से सम्बन्धित है। जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि समस्त प्रकरणों में गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित धारा—166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के वादों में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 21—12—2005 को आधार मानते हुए राज्य सरकार में निहित भूमि को विभिन्न

व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए, जबकि प्रश्नगत प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन थी व मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में अध्यक्ष, राजस्व परिषद के न्यायालय में उक्त वादों की सुनवाई विचाराधीन है जिसमें गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित वाद संख्या–30/96–97, 35/96–97, 36/96–97 व 34/96–97 हैं, इसलिए परवाना अमलदरामद आदेश संख्या–677/आ0ले0–2013 दिनांक 30–11–2013 के अन्तर्गत खतौनियों में उक्त आदेश का अमलदरामद कराया गया। विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 29–01–2014 में यह भी उल्लेख किया कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका संख–81/एम0एस0/2000 राज्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 21–12–2005 को आदेश पारित किए गए हैं, जिसके क्रम में तत्कालीन सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/अपर नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून के न्यायालय स्तर से पक्षकारों के पक्ष में परवाना अमलदरामद जारी किया गया। उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या–3195 स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम मै0 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 (एस0एल0पी0 नं0–16476, 16477, 16478, 16481, 16482, 16483 एवं 16484 वर्ष 2006 सहित) प्रस्तुत की, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11–04–2011 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरणों को सुनवाई के लिए राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को प्रतिप्रेषित कर दिया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र/आदेश संख्या–677/आ0ले0–2013, दिनांक 30–11–2013 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में अंकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रश्नगत प्रकरण वर्तमान में राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में विचाराधीन है, जिस कारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जनपद देहरादून द्वारा सरकार में निहित सम्बन्धी आदेश वर्तमान में पुनः प्रभावी हो जाते हैं। विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 29–01–2014 से वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की हैं।

समान प्रकृति के होने एवं एक ही आदेश के विरूद्व योजित उपरोक्त निगरानियों में अधिवक्ता पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त सातों निगरानियां एक ही आदेश से निस्तारित की जा रही हैं।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि के मालिक हैं तथा मौके पर विधिवत काबिज हैं। निगरानीकर्तागण का नाम लगातार भूमिधर राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है। तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न ग्रामों की भूमि एक ही तिथि 21–08–97 को धारा–154 से बाधित मानते हुए बिना कोई विधिक

प्रक्रिया अपनाये राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी। कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 29—01—2014 में अर्द्धन्यायिक आदेश पारित किया है। न्यायिक आदेशों में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना एवं कारण देना अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी पीठासीन अधिकारी अपने पूर्व निर्णय के विरूद्व पुनर्विचार करने में सक्षम नहीं है। यह अधिकार मात्र राजस्व परिषद की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है। दिनांक 21—08—97 को वाद संख्या— 37, 39, 36, 35, 34, 30,33 वर्ष 1996—97 अन्तर्गत धारा—166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के आदेश के विरूद्व जो भूमि राज्य सरकार में निहित थी तथा विभिन्न खातेदार भूमिधरी के खाते में अंकित थे राज्य सरकार में निहित किए जाने के विरूद्व मा0 राजस्व परिषद, इलाहाबाद के समक्ष निगरानी संख्या— 51 लगायत 57 वर्ष 1996—97 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से योजित की गई थी। राजस्व परिषद, इलाहाबाद ने दिनांक 24—11—2000 को यह आदेश पारित किया कि उक्त मामले में जिलाधिकारी, देहरादून के मौखिक आदेश दिनांक 12—08—97 के अनुसार वाद कायम करते हुए मात्र 09 दिन के भीतर दिनांक 21—08—97 को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये कास्तकारों को बिना सूचित किए जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की नियमावली के नियम 148 से 152 तक का अनुसरण किये बिना अवैध रूप से काश्तकारों की भूमि राज्य सरकार में निहित की गई थी। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने समस्त निगरानियां स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर के समस्त आदेशों दिनांक 21—08—97 को निरस्त कर दिया था। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 24—11—2000 के विरूद्व राज्य सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल में रिट याचिका संख्या—81/एम0एस0 योजित की जो निरस्त हुई तथा राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निगरानियों में पारित आदेश की पुष्टि हुई। उक्त आदेश के विरूद्व वर्ष 2006—07 तक मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तरांचल राज्य सरकार की तरफ से कोई भी विशेष अनुमति याचिका स्वीकार नहीं की गई थी और न ही उक्त आदेश के विरूद्व वर्ष 2006—07 तक कोई निषेधाज्ञा अथवा अध्यादेश पारित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 22—12—2005 अन्तिम आदेश तथा वर्ष 2010—11 तक पूर्ण रूप से प्रभावी था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहायक कलेक्टर न्यायालयों में विचाराधीन सभी वाद जिससे दिनांक 21—08—97 को खातेदारों की भूमि राज्य सरकार में निहित हुई थी अवमुक्त की गई जिनका अंकन दिनांक 29—01—2014 के पूर्व तक खतौनियों में दर्ज चला आ रहा था। कलेक्टर ने उन्हीं आदेशों को जो कि आज तक विभिन्न न्यायालयों में गतिमान हैं तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व परिषद में विचाराधीन हैं, रेसज्यूडीकाटा के सिद्वान्त के विरूद्व पुनः राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित कर दिया जो कि विधि की दृष्टि से किसी भी प्रकार पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सहायक कलेक्टरों ने मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार से अवमुक्त करते हुएं विभिन्न

काश्तकारों की भूमि उनके नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जो कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे। कलेक्टर देहरादून को उक्त आदेशों के विरूद्व कोई भी अन्य आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। यदि आदेश त्रुटिपूर्ण थे तो उनके विरूद्व अपील अथवा निगरानी का विकल्प राज्य सरकार के पास उपलब्ध था। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों दिनांक 21–08–97 के विरूद्व राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में निगरानियां विचाराधीन हैं ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर को कोई भी अन्तरिम आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–01–2014 एकपक्षीय आदेश है जिसे पारित करने से पूर्व खातेदारों को कोई भी नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। भू–राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पुनर्विलोकन का अधिकार राजस्व परिषद न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय को नहीं है। कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कलेक्टर, देहरादून द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है। राजस्व परिषद, उ0प्र0 और मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, अतः सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश आज की तिथि में भी प्रभावी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के कम में आज भी वादगस्त भूमि राज्य सरकार की है और कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत भूमियों को राज्य सरकार के नाम दर्ज किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार की भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 29–01–2014 पारित किया गया है। आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानियों एवं विद्वान न्यायालय कलेक्टर, देहरादून की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–08–97 के आदेश से विभिन्न खातेदारों की भूमि को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किया गया था। इस आदेश के विरूद्व गोल्डन फारेस्ट कम्पनी ने राजस्व परिषद, उ0प्र0 में निगरानियां योजित की जिन्हें राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 से स्वीकार कर सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–97 को निरस्त किया गया। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकायें योजित की गई थीं जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21–12–2005 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 योजित कीं जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 11–04–2011 से स्वीकार की गई एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21–12–2005 इस आधार पर निरस्त करते हुए कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात आदेश दिनांक 24–11–2000 पारित किया गया है, जो

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं था एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से निर्णीत निगरानी संख्या-51 से 57 वर्ष 1996-97 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 बनाम राज्य सरकार पुनः निर्णीत किए जाने हेतु राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को प्रतिप्रेषित की गई जो अभी राजस्व परिषद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निगरानियां न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के समक्ष विचाराधीन हैं और परिषद में विचाराधीन निगरानियों के संदर्भ में कलेक्टर, देहरादून द्वारा एक अन्तरिम आदेश दिनांक 29-01-2014 पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय में वादों के विचाराधीन रहते हुए अवर न्यायालयों को किसी भी प्रकार का कोई आदेश विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित करना उच्चतर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तो अवर न्यायालयों को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान कलेक्टर, देहरादून की वाद पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 29-01-2014 एकपक्षीय आदेश है और आदेश को पारित करने से पूर्व खातेदारों/निगरानीकर्तागण को किसी भी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रेषित नहीं किया गया जिससे वे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते। केवल जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नगत भूमि को पुनः राज्य सरकार में निहित किए जाने का आदेश/परवाना अमलदरामद वो भी धारा-166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाना विधिसंगत नहीं है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-08-97 के विरूद्व निगरानियां न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु लम्बित है। सहायक कलेक्टर, देहरादून द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-166/167 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21-08-97 के समानान्तर पुनः विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 29-01-2014 अन्तर्गत धारा-166/167 पारित किया जाना विधिक रूप से पोषणीय नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि की जो भी स्थिति होगी वह परिषद में विचाराधीन निगरानियों में पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानियाँ स्वीकार योग्य हैं एवं विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-01-2014 निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

निगरानियाँ स्वीकार कर विद्वान कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 29-01-2014 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 16 मई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।